भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन
विशेष संदेशवाहक/कैम्प बैग द्वारा

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं.481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./उ.रा.नि.द्विवार्षिक/2017 दिनांक: 5 जुलाई, 2017

सेवा में

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं
महासचिव, राज्य सभा
संसद भवन, नई दिल्ली

विषय: उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017-पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति।

महोदय,

मुझे, आपका ध्यान "राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974" के नियम 9 की ओर आकृषित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उसके उप नियम (1) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ही पीठासीन अधिकारी होंगे।

2. तद्नुसार, महासचिव, राज्य सभा, जो उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग अधिकारी हैं, संसद भवन में मतदान के स्थान पर मतदान का संचालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी होंगे।

3. उक्त नियम 9 की उप-धारा(2) के अनुसार, पीठासीन अधिकारी मतपत्र प्राप्त करने में अपनी सहायता के लिए ऐसे मतदान अधिकारी अथवा अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, जैसा कि आवश्यक समझें।

4. निर्वाचकों को बिना कोई असुविधा पहुंचाए, मतदान को सुचारू रूप में संचालित करने के लिए, आप जहां भी आवश्यक समझें, प्रत्येक मतदान अधिकारी को उस मतदान स्थान पर मतदान करने वाले निर्वाचकों सूची का एक अलग भाग दे सकतें हैं, जिस मतदान स्थानके आप पीठासीन अधिकारी हैं।

5. कृपया इस पत्र की पावती भेंजे।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)
प्रधान सचिव